न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
02/2020	प्रा0पत्र 136 RLRA	10.01.2020	24.01.2020

बेगराज पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी गांव झारिया तहसील व जिला चूरू
—प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
—अप्रार्थी—

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री हीरालाल मण्डार प्रार्थी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि गांव झारिया तहसील व जिला चूरू में सह खातेदारी की स्थित है जिसके खसरा संख्या 506 तादादी 1.0749 व खसरा संख्या 592 तादादी 4.6412 हैक्टेयर हैं जिसमें प्रार्थी का नाम बेगराज पुत्र बालूराम बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी की एक अन्य कृषि भूमि ग्राम आसलखेड़ी तहसील चूरू की रोही में स्थित है जिसमें प्रार्थी सह खातेदार दर्ज जिसके खसरा संख्या 324, 404, 415 416, 633 व 634 तादादी क्रमशः 2.1499 हैक्टेयर, 4.095 हैक्टेयर, 4.5401 हैक्टेयर, 5.0332 हैक्टेयर, 2.1499 हैक्टेयर, 1.3405 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल तादादी 19.3111 हैक्टेयर हैं जिसकी जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बेगराज पुत्र बालूराम के स्थान पर गलती से बेगाराम पुत्र बालूराम दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम बेगराज पुत्र बालूराम है व यही नाम जमाबन्दी में दर्ज होना चाहिये। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड एवं आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का नाम बेगराज ही दर्ज है। ग्राम आसलखेड़ी की जमाबन्दी में दर्ज बेगाराम पुत्र बालूराम को संशोधित किया जाकर प्रार्थी का सही नाम बेगराज पुत्र बालूराम दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थी ने तहसीलदार, चूरू को दिनांक 09.01.19 को प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर तहसीलदार महोदय ने जांच करवाई थी जिस जांच में भी प्रार्थी का सही नाम बेगराज होना पाया गया व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बेगाराम पुत्र बालूराम के स्थान पर बेगराज पुत्र बालूराम का नाम संशोधित कर शुद्धि की जाने की अनुशंषा की गई लेकिन पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध नहीं किया गया। वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम आसलखेड़ी की जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारी की भूलवश प्रार्थी बेगराज पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी झारिया तहसील चूरू का नाम बेगाराम दर्ज कर दिया जिस कारण प्रार्थी को बड़ी असुविधा हो रही है। इस भूलवश दर्ज गलत नाम बेगाराम के स्थान पर बेगराज करना न्यायहित में आवश्यक है जिससे खातेदार को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो क्योंकि बालूराम के बेगराज नाम का कोई लड़का नहीं है जबकि बालूराम के नाम का लड़का बेगराज है। कर्मचारियों की भूलवश बेगाराम दर्ज हो गया है। यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी को सुनवाई करने के काबिल है इसलिए उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

उपखण्ड अधिकारी चूरू

तहसील चूरू की रोही में स्थित हैं जिसमें प्रार्थी

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 324, 404, 415 416, 633 व 634 तादादी क्रमशः 2.1499 हैक्टेयर, 4.095 हैक्टेयर, 4.5401 हैक्टेयर, 5.0332 हैक्टेयर, 2.1499 हैक्टेयर, 1.3405 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल तादादी 19.3111 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम आसलखेड़ी तहसील चूरू में प्रार्थी का नाम बेगाराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/50 जाति कुम्हार निवासी झारिया खातेदार के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम बेगराज पुत्र बालूराम हिस्सा 1/50 जाति कुम्हार निवासी झारिया तहसील चूरू दर्ज किया जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जांच पटवारी हल्का झारिया से जांच पूर्व में करवाई गई जिसमें प्रार्थी का सही नाम बेगराज पुत्र बालूराम होना पाया गया है तथा तहसीलदार, चूरू द्वारा भी उक्त नाम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। पृथक् से जवाब की आवश्यकता नहीं है। पैरोकार राज का जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी ने तहसीलदार, चूरू को नाम शुद्ध कराने का मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2019 एवं वादगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों, पटवारी हल्का झारिया की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार, चूरू की अभिशंषा दिनांक 31.012019 एवं प्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम बेगाराम के स्थान पर बेगराज शुद्ध करने का आदेश फरमावें। पैरोकार राज ने कथन किया कि जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने से राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात मय शपथ पत्र एवं तहसीलदार, चूरू की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश छाया प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम आसलखेड़ी के ख.नं. 324, 404, 415 416, 633 व 634 तादादी क्रमशः 2.1499 हैक्टेयर, 4.095 हैक्टेयर, 4.5401 हैक्टेयर, 5.0332 हैक्टेयर, 2.1499 हैक्टेयर, 1.3405 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल तादादी 19.3111 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम बेगाराम पुत्र बालूराम अंकित है जिसको प्रार्थी शुद्ध करवाना चाहता है। छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र संख्या ZLX/0928184, परिवार राशन कार्ड संख्या 00704990957, आधार कार्ड संख्या 683469925429, भामाशाह कार्ड संख्या 9999-BNUV-00357 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम झारिया के खाता संख्या 54 सभी में प्रार्थी का नाम बेगराज पुत्र बालूराम अंकित है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, चूरू के समक्ष दिनांक 09.01.19 को प्रस्तुत नाम दुरुस्ती के प्रार्थना पत्र एवं जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी झारिया व अनुशंषा तहसीलदार, चूरू दिनांक 31.01.2019 में भी प्रार्थी का नाम बेगाराम पुत्र बालूराम के स्थान पर बेगराज पुत्र बालूराम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी ने अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित कोई वाद भी किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है। उसका खातेदारी हिस्सा किसी बैंक या वित्तीय संस्था के रहन बन्धक नहीं है, किसी प्रकार का बकाया नहीं है धारा 16 आर.टी.ए. एवं सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है तथा उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग है। भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं जांच रिपोर्ट व अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी चूरू

तहसील चूरू का रोही में स्थित हैं जिसमें प्रार्थी

कृषि भूमि वाके रोही आसलखेड़ी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज चला रहा है जिसको सही व दस्तावेजों के अनुरूप दर्ज करवाने के लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा पैरोकार राज ने भी इस प्रकार के संशोधन से राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं बताई है। साथ ही इस प्रकार के संशोधन से सह खातेदारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 324, 404, 415 416, 633 व 634 तादादी क्रमशः 2.1499 हैक्टेयर, 4.095 हैक्टेयर, 4.5401 हैक्टेयर, 5.0332 हैक्टेयर, 2.1499 हैक्टेयर, 1.3405 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल तादादी 19.3111 हैक्टेयर रोही ग्राम आसलखेड़ी तहसील चूरू में अंकित प्रार्थी खातेदार का नाम बेगाराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/50 जाति कुम्हार निवासी झारिया तहसील चूरू खातेदार के स्थान पर बेगराज पुत्र बालूराम हिस्सा 1/50 जाति कुम्हार निवासी झारिया तहसील चूरू खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार, चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 24.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू